दूरभाष : नियंत्रक : 2550931
फैक्स : 2551069
उप नियंत्रक : 2551069

कार्यालय, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग

अरेरा हिल्स, मैदा मिल रोड, भोपाल—462 011

क्रमांक जी.बी.दो (22)/2009 2379 भोपाल, दिनांक 13-7-10

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश

विषय :— मध्यप्रदेश मुद्रण और जिल्दसाजी नियम के अंतर्गत मुद्रण सामग्रियों को मुद्रित कराने बाबत्।

संदर्भ :— मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग का ज्ञापन कमांक एफ 4—42/09/सात/4 ए दिनांक 8.6.09 एवं इस कार्यालय का ज्ञाप कमांकजी.बी. स्टेनो/(वी.—56)/99/1069 दिनांक 22.3.2010 (पूर्व में प्रेषित)

———

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापनों (प्रतिलिपि संलग्न है) का कृपया अवलोकन करें जिसके द्वारा मध्यप्रदेश कार्य आवंटन नियम एवं म0प्र0 मुद्रण और जिल्दसाजी नियम के अंतर्गत मुद्रण सामग्रियों को मुद्रित कराने बाबत् निर्देश जारी किये गये थे तथा अनुरोध किया गया था कि शासकीय मुद्रण कार्यों के संबंध में संदर्भित ज्ञापन में उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही हेतु आपके अधीन सर्व संबंधितों को निर्देशित करने की अपेक्षा की गई थी।

2. जैसा कि इस कार्यालय के ज्ञापन दिनांक 22.3.2010 की कंडिका 3.1 में स्पष्ट किया गया था, वर्तमान में विभागों/कार्यालयों से प्राप्त होने वाले मुद्रण मांगपत्रों से संबंधित मुद्रण कार्य शासकीय मुद्रणालयों में उपलब्ध संसाधनों से पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3. गैर सरकारी पंजीकृत मुद्रकों से मुद्रण फलस्वरूप उनके देयकों का परीक्षण/मूल्यांकन इस कार्यालय की परीक्षण समिति द्वारा किये जाने की पूर्व प्रचलित प्रकिया में सुधार की आवश्यकता के दृष्टिगत आगामी आदेश तक/नवीन प्रक्रिया नियत होने तक देयकों के परीक्षण/मूल्यांकन पर रोक लगाई गई है। अतः ऐसे देयक स्वीकार/मान्य नहीं किये जावे।

विषयांतर्गत दिशा निर्देशों एवं उपर्युक्त पैरा 2 एवं 3 की और विशेष ध्यान आकृष्ट करने की दृष्टि से अनुरोध है कि संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों/कार्यालयों को यह पत्र/सहपत्र सहित पृष्ठांकित करने का कष्ट करें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार

13.7.2010

नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0, भोपाल